न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 02/2020

अपीलार्थिनी

श्रीमती छोटी देवी पुत्री स्व0 प्रहलादराम, पत्नी पपाराम, जाति विश्नोई, निवासी– ग्राम फींच, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण

1. रामचन्द्र पुत्र स्व0 प्रहलादराम, जाति विश्नोई, निवासी– बाबलों की ढाणी, डोली वाया कल्याणपुर, तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 473 दिनांक 18.02.2005 ग्राम नान्दडा कला, जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया।

———

उपस्थिति :–

1. अपीलार्थिनी की ओर से अभिभाषक श्री नागराज गोस्वामी उपस्थित।
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

–: आदेश :– दिनांक :– 17.02.2020

अपीलार्थिनी अभिभाषक ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 नामान्तरकरण संख्या 473 दिनांक 18.02.2005 ग्राम नान्दडा कला जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया के विरूद्ध पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नान्दडा कला तहसील व जिला जोधपुर में खसरा नं0 311 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा अपीलार्थिनी के पिता स्व0 प्रहलादराम, ताउ धोकलराम तथा चाचा बागाराम आदि के नाम से सामलाती आई हुई है जिसमें से स्व0 प्रहलादराम के हक हिस्से में 1 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि आती है। जिस पर प्रहलादराम के देहान्त के बाद अपीलार्थिनी व उसके भाई रामचन्द्र का सामलाती कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलार्थिनी के पिता का देहान्त दिनांक 01.05.1999 को हो जाने के पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 1 ने विधि विरूद्ध व गलत तरीके से स्वयं के नाम विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत करवा दिया। अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलार्थिनी को सुनवाई का अवसर/नोटिस दिये बिना

नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया, से व्यथित होकर अपील मीमो मय धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र पेश हुई।

अपील मियाद बिन्दु शर्त के साथ दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा मूल अभिलेख तहसीलदार जोधपुर से तलब किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित। मूल अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण में अपीलार्थिनी के अभिभाषक की बहस दिनांक 13.02.2020 को सुनी गई तथा पत्रावली वास्ते आदेश हेतु रखी गई।

अपीलार्थिनी की अभिभाषक ने धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र में बतलाया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 07.01.2020 को हुई, जब दिनांक 06.01.2020 को प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा खसरा नं0 311 की कृषि भूमि बेचान करने के बाबत् ग्राहकों को लाने पर प्रार्थीया ने आपत्ति की तब प्रत्यर्थी संख्या 1 ने कहा कि उक्त कृषि भूमि केवल मेरे नाम की है। जिसकी जमाबन्दी व म्यूटेशन की प्रमाणित प्रतियाँ दिनांक 07.01.2020 प्राप्त करने पर पता चला कि प्रत्यार्थी संख्या 1 ने विधि विरूद्ध दिनांक 18.02.2005 को उक्त नामान्तरकरण अपने पक्ष में स्वीकृत करवा लिया। अतः निवेदन है कि अपीलार्थिनी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलार्थिनी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलार्थिनी को बिना जानकारी, बिना सहमति, बिना जांच पड़ताल, बिना साक्ष्य, बिना नोटिस दिये गैर कानूनी तरीके से नामान्तरकरण स्वीकृत करवा दिया जो निरस्त योग्य है। अपीलार्थिनी के पिता का देहान्त दिनांक 01.05.1999 तथा माता मिरगीदेवी का देहान्त वर्ष 2011 में हो जाने के पश्चात स्व0 प्रहलादराम के हक व हिस्से में आने वाली कृषि भूमि 01 बीघा 10 बिस्वा पर अपीलार्थिनी व प्रत्यर्थी संख्या 1 का बराबर हिस्सा अर्थात् 15–15 बिस्वा आता है। इस कारण म्यूटेशन संख्या 473 को न्यायहित में निरस्त किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थिनी व प्रत्यर्थी सख्या 1 उक्त कृषि भूमि पर जन्म से विधिक अधिकार रखते है तथा उक्त कृषि भूमि पर काबिज है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अपील का गुणावगुण निर्णय करने से पूर्व प्रार्थना–पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलार्थिनी ने प्रार्थना–पत्र में बतलाया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 07.01.2020 को हुई, जब दिनांक 06.01.2020 को प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा खसरा नं0 311 की कृषि भूमि बेचान

करने के बाबत् ग्राहकों को लाने पर प्रार्थीया ने आपत्ति की तब प्रत्यर्थी संख्या 1 ने कहा कि उक्त कृषि भूमि केवल मेरे नाम की है। जिसकी जमाबन्दी व म्यूटेशन की प्रमाणित प्रतियाँ दिनांक 07.01.2020 प्राप्त करने पर पता चला कि प्रत्यार्थी संख्या 1 ने विधि विरूद्ध दिनांक 18.02.2005 को उक्त नामान्तरकरण अपने पक्ष में स्वीकृत करवा लिया। अतः अपील में जो विलम्ब के कारण बतलाये गये है वो सन्तोषप्रद होने से विलम्ब क्षमा योग्य है। अतः न्यायहित में अपीलार्थिनी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपील का गुणावगुण निर्णय इस प्रकार है। यह तथ्य निर्विवादित है कि अपीलार्थिनी मृतक प्रहलादराम जाति विश्नोई की जायन्दा पुत्री है तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 की बहन है। प्रहलाराम के फौत हो जाने पर रामचन्द्र (पुत्र) के नाम से अपीलाधीन नामान्तरकरण 473 जो दिनांक 18.02.2005 को तहसीलदार, जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया जबकि अपीलार्थिनी श्रीमति छोटी देवी जो प्रहलादराम की जायन्दा पुत्री है उनका नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण में दर्ज नहीं किया गया। अपीलार्थिनी श्रीमती छोटी देवी हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के तहत मृतक प्रहलादराम की प्रथम श्रेणी की वारिसान् है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण 473 दिनांक 18.02.2005 ग्राम नांदडा कला जो तहसीलदार, जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया को निरस्त किया जाता है और तहसीलदार जोधपुर को निर्देश दिये जाते है कि वह मृतक प्रहलदाराम जाति विश्नोई के सभी प्रथम श्रेणी के वारिसानों की जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही नियमानुसार करे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल नामान्तरकरण निर्णय की प्रति के साथ पुनः भेजा जावे।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2020.03.06 12:05:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: